



प्रेस विज्ञप्ति - 01/2021

21 सितम्बर 2021 के हिंदुस्तान के जमशेदपुर के अंक में छपे समाचार के अनुसार श्री संतोष मण्डल द्वारा यह सूचना दी गई है कि "रजिस्ट्रार के ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज हैं", "मंडल ने कहा है कि राय पर दर्ज मुकदमे पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं।" इस प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा एन. आई. टी. जमशेदपुर में पदस्थापित रजिस्ट्रार द्वारा श्री संतोष मंडल से यह अनुरोध किया जाता है कि वे सभी दर्ज मुकदमों (जो आधिकारिक सक्षमता में न हों) की जानकारी प्रेस को एक महीने के अंदर दें अन्यथा सार्वजनिक रूप से लिखित माफी मांगें । अगर श्री संतोष मंडल ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एक महीने बाद उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

हिंदुस्तान में ही छपी दूसरी खबर के बारे में यह सूचना देनी है कि नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक सभी एन. आई. टी. में लगी है न कि सिर्फ एन. आई. टी. जमशेदपुर में। बैकलॉग वेकेंसी पर नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में शिक्षा मंत्रालय से दिशा निर्देश माँगा गया है।

समाचार पत्रों के संवादाताओं से अनुरोध है कि इस तरह के समाचार छापने के पहले सत्यता की जाँच करने का प्रयास कर लें। क्योंकि इस तरह के भ्रामक और झूठे समाचार से व्यक्ति विशेष के चरित्र का हनन होता है।

दिनांक : 21-09-2021

जन सम्पर्क अधिकारी प्रभारी
- सह - मीडिया प्रवक्ता